

प्राक्कथन

1. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समुद्री अर्थव्यवस्था पर दिए गए बल के अनुसरण में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए एक नीति दृष्टिकोण विकसित करने की पहल की है। इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा एजेंसियों के बीच आपसी समन्वय की कमी के कारण, मामले के समाधान के लिए समन्वित और एकीकृत प्रयास की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि इनमें सुक्ष्म आर्थिक निहितार्थ शामिल हैं।
2. मुझे भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान नीति का मसौदा प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस नीति को संबंधित मंत्रालयों विशेषज्ञों तथा विचारकों के साथ अनेक बार विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। इस मसौदे में रणनीति के साथ-साथ उस विज्ञान को व्यक्त किया गया है। जो भारत सरकार द्वारा अपनाया जा सकता है। यह गतिविधि धारणीय तरीके से जनता के लिए बेहतर आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए समुद्री संसाधनों के दोहन का आधार बन सकती है।
3. मैं इस प्रयास के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था पहल के तहत सात कार्य समूहों- के अध्यक्षों संयोजको, सदस्यों तथा सहयोगी पेशेवरों का धन्यवाद देता हूँ। उनका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट की एक श्रृंखला में योगदान किया है जो समुद्री अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों के बारे में बताती हैं। प्रत्येक रिपोर्ट में वर्तमान तथा उभरती चुनौतियों की पहचान की गई तथा प्रत्येक सेक्टर में विशाल संभावनाओं और अवसरों को भुनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों की गईं। मैं डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा वरिष्ठ सलाहकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुख्य संयोजक अधिकारी के रूप में इस जटिल कार्यकलाप को पूरा करने में सहायता की और समन्वय किया। मैं संचालन समिति के सदस्यों का भी विचार विमर्शों के दौरान उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूँ।
4. मुझे आशा है कि भारत सरकार की समुद्री अर्थव्यवस्था पहल में यह दस्तावेज अर्थ पूर्ण तरीके से योगदान देगा।

रतन पी वाटल
सदस्य सचिव
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

**संयुक्त राष्ट्र सतत विकास
लक्ष्य 14**

“सतत विकास के लिए समुद्रों तथा समुद्री संसाधनों का संरक्षण करें और सतत रूप से प्रयोग करें। ”






“मेरे लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीला चक्र समुद्री क्रांति समुद्री या अर्थव्यवस्था की संभावना प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है समुद्री अर्थव्यवस्था हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत





INDIA&ITSTERRITORIALWATERS

Source: Ministry of Earth Sciences, 2019

1. समुद्री अर्थव्यवस्था का भारतीय विज्ञान

1.1 समुद्री अर्थव्यवस्था का आर्थिक दर्शनशास्त्र सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गुंटर पॉली द्वारा 1994 में भविष्य में वृद्धि और समृद्धि की आवश्यकताओं के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरों को दर्शाने के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह संकल्पना "अपशिष्ट नहीं और उत्सर्जन नहीं" पर आधारित इंजीनियरी की संकल्पनाओं सहित विकास के और अधिक धारणीय मॉडल विकसित करने पर आधारित थी। समुद्री अर्थव्यवस्था वर्ष 2012 में तीसरे पृथ्वी शिखर सम्मेलन -रियो+20 के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गई। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ समुद्री अर्थव्यवस्था को शामिल करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था की संकल्पना के विस्तार पर ध्यान दिया गया। इस संकल्पना को प्रोत्साहन तब मिला, जब संयुक्त राष्ट्र के धारणीय विकास लक्ष्य 14 में वैश्विक प्रशासन तथा समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में धारणीय विकास हेतु समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करने और धारणीय उपयोग करने का आग्रह किया गया। अनेक सदस्य राष्ट्रों ने अब समुद्री अर्थव्यवस्था की अपनी परिभाषाएं तथा अपने प्रतिमान विकसित कर लिए हैं। महामारी पूर्व के ओईसीडी अनुमानों के अनुसार शेष वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की तुलना में समुद्री अर्थव्यवस्था के दुगुनी दर से बढ़ने की संभावना है। यह नोट किया जाए कि समुद्री अर्थव्यवस्था से मूल्य संवर्धन में समुद्री विनिर्माण तथा सेवाओं से मूल्य संवर्धन, समुद्री व्यापार, शिपिंग, अपतट तथा तटीय ऊर्जा, गहरे समुद्री खनिज, मत्स्य पालन, मत्स्य आखेट तथा समुद्र संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल है।

1.2 संपूर्ण विश्व में समुद्री अर्थव्यवस्था के दोहन के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक पहलें की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील यूनाइटेड किंगडम अमेरिका रूस तथा नार्वे जैसे देशों ने मापन योग्य परिणाम तथा बजटीय प्रावधानों के साथ समर्पित राष्ट्रीय समुद्री नीतियां विकसित की हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने समुद्री अर्थव्यवस्था की प्रगति सुनिश्चित करने तथा निगरानी के लिए संघीय एवं राज्य स्तरों पर कानून बनाए हैं तथा अनुक्रम श्रेणीबद्ध संस्थान स्थापित किए हैं।

1.3 भारत वर्ष 1981 में समुद्र विकास विभाग, वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, बनाने वाला विश्व के पहले राष्ट्रों में था। 3 दशक से अधिक के अनुभव के आधार पर, भारत "डीप ओसियन मिशन", ओशनोग्राफी फ्रॉम स्पेस तथा भारतीय तट रेखा के समांतर लॉन्चिंग ऑफ द डाटा बॉयज जैसे नए कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ भारत बहुत आगे आ चुका है। इन पहलों के कारण वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए मौसम सहित विभिन्न समुद्र विज्ञान संबंधी लक्षणों के संबंध में आंकड़े प्रसारित करने के लिए उपग्रह सक्षम बने हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्री कचरे/समुद्रों में प्लास्टिक का अनुमान लगाने तथा इन्हें कम करने के लिए रणनीतियां विकसित करने हेतु "स्वच्छ समुद्र कार्यक्रम" पर संयुक्त राष्ट्र के साथ हाथ मिलाया है जो धारणीय विकास लक्ष्य 14 का भी एक भाग है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में खनिजो (पॉलिमेटलिक नॉड्यूलस तथा हाइड्रोथर्मल सलफाइड) की गहरी समुद्री खोज के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ भी दो करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सेक्टरों में वृद्धि के लाभों को प्राप्त करने के लिए भारत को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम दोनों गतिविधियों के लिए एक धारणीय नीति बनानी चाहिए।

1.4 फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरु किए गए वर्ष 2030 तक नए भारत के विज्ञान में प्रगति के 10 महत्वपूर्ण आयामों में से एक के रूप में समुद्री अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया गया है। समुद्री अर्थव्यवस्था को इस विज्ञान के छठे आयाम के रूप में बताते हुए इसके विभिन्न सेक्टरों को समेकित करने के लिए एक सुसंगत नीति की आवश्यकता पर जोर दिया गया था ताकि तटीय समुदायों के जीवन में सुधार किया जा सके एवं विकास तथा रोजगार बढ़ाया जा सके। हाल ही में, 2020 में, 74 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समकालीन परिदृश्य में हमारा पड़ोसी केवल वही नहीं है जिसके साथ हमारी भौगोलिक सीमा है अपितु वे भी हैं जिनके साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध है। मुख्य भूमि में सेवाओं के समान ही द्वीप समूहों के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से हमारे भू प्रदेशों को जोड़ने के उद्देश्य भी है। इस संदर्भ में भारत को एक महत्वपूर्ण उभरती आर्थिक तथा रणनीतिक धुरी की पहचान करनी चाहिए जो अफ्रीका के पूर्वी तट से पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैली है जिसे सेशेल्स-सिंगापुर-समोआ धुरी कहा जा सकता है। यह धुरी भारत के लिए एक मजबूत समुद्री अर्थव्यवस्था का आधार बननी चाहिए।

1.5 भारत की विशेष समुद्री स्थिति है। इसकी 7517 किलोमीटर लंबी तट रेखा नौ तटीय राज्यों तथा 1382 द्वीप समूहों का घर है। देश में 12 बड़े बंदरगाह तथा 187 छोटे बंदरगाह हैं जो प्रतिवर्ष लगभग 14 मिलियन टर्न माल की हैंडलिंग करते हैं चूंकि भारत का मात्रा के अनुसार 95% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। 2 मिलीयन वर्ग किलोमीटर से अधिक का भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र सजीव और निर्जीव संसाधनों का भंडार है तथा इसमें कूड ऑयल तथा प्राकृतिक गैस के प्राप्त करने योग्य महत्वपूर्ण भंडार है। तटीय अर्थव्यवस्था 4 मिलियन से अधिक मछुआरा तथा अन्य तटीय समुदायों का भी पालनपोषण करती है। बृहद समुद्री हितों के साथ भारत में समुद्री अर्थव्यवस्था का देश के आर्थिक विकास के साथ एक महत्वपूर्ण संबंध है।

1.6 हाल के वर्षों में, समुद्री क्षेत्र में धारणीय विकास हेतु अनेक पहले हुई हैं। ये पहलें भारत के समुद्री हितों तथा हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए प्रेरक बनी है। कोविड-19 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में समुद्री संसाधनों के कुशल तथा धारणीय उपयोग से भारत के समुद्री सेक्टर में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है।

1.7 भारत को संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्यों के साथ सौहार्द से तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए रोजगार तथा सकल मूल्य संवर्धन को बढ़ाने की दृष्टि से समुद्री संसाधनों के कुशल तथा धारणीय उपयोग एवं समुद्र से संबंधित क्षमताओं और कौशल को समेकित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1.8 भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए एक पारदर्शी नीति रूपरेखा पर आधारित एक स्पष्ट कार्य सूची तैयार करने की आवश्यकता है। इस नीति रूपरेखा का उद्देश्यराष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करते हुए भारत के विकास एजेंडे के अनुरूप इस नए क्षेत्र में धारणीय तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देकर देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाना होगा।

4. भविष्य की ओर - भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था हेतु नीतिगत रूपरेखा का मसौदा

प्रस्तावना

4.1 समुद्री दृष्टिकोण से भारत की अद्वितीय स्थिति है। इसकी नौ तटवर्ती राज्यों एवं 1382 द्वीपों में 7517 किमी लम्बी तटरेखा है। देश में पास 12 प्रमुख बंदरगाह एवं 187 छोटे बंदरगाह हैं, जहां पर वर्ष 2019 में लगभग 633.87 मिलियन टन कार्गो का आवागमन हुआ। भारत का 95% व्यापार समुद्र मार्ग से होता है। लगभग दो मिलियन वर्ग किमी में फैले हुए भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में सजीव एवं निर्जीव संसाधन हैं, तथा पर्याप्त मात्रा में खोज-योग्य कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का भंडार है। इससे तटवर्ती निर्माण एवं सेवाओं में, व्यापार में, शिपिंग में, गहरे सागर के खनिज में, एकाकल्चर एवं मत्स्यपालन एवं समुद्र-आधारित प्रौद्योगिकियों में सम्भावित रूप से मूल्यवर्धन में सहायता मिल सकती है। तटीय अर्थव्यवस्था से 40 लाख से अधिक मछुआरों एवं तटवर्ती समुदायों की अन्य महत्वपूर्ण जनसंख्या को भी रोजगार मिलता है।

4.2 इसलिए भारत के इन विशाल समुद्री हितों और देश की आर्थिक वृद्धि एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मजबूत सम्बन्ध है। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक उपसमूह है, जिसमें भारत के विधिक क्षेत्राधिकार में आने वाले समुद्री क्षेत्र में समुद्री संसाधनों एवं मानव निर्मित आर्थिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की समग्र प्रणाली शामिल है, जिससे सेवाओं एवं माल के उत्पादन में सहायता मिलती है, तथा इसका हमारे देश की आर्थिक वृद्धि, पर्यावरणीय संवहनीयता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सुस्पष्ट सम्बन्ध है।

भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ उठाने के लिए, विस्तृत उप-समूह प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों का विश्लेषण करने के बाद निम्नलिखित नीतिगत रूपरेखा का मसौदा प्रस्तावित किया गया है।

वैश्विक स्थिति

4.3 समुद्री अर्थव्यवस्था का आर्थिक दर्शन सबसे पहली बार वर्ष 1994 में प्रोफेसर गुंटर पॉली ने यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी (यूएनयू) में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने भविष्य की वृद्धि एवं समृद्धि के साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरों के बारे में चर्चा की। उसके बाद, वर्ष 2012 में तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो+20 के बाद समुद्री अर्थव्यवस्था को काफी महत्व दिया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विस्तार समुद्री अर्थव्यवस्था तक किया गया। संयुक्त राष्ट्र का संपोषीय विकास लक्ष्य 14 के अनुसार समुद्री संसाधनों के वैश्विक प्रशासन एवं उपयोग के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में "संवहनीय विकास हेतु महासागरीय, समुद्र एवं मैरीन संसाधनों का संवहनीय उपयोग एवं परिरक्षण" करना है। बहुत से सदस्य राष्ट्रों ने समुद्री अर्थव्यवस्था की अपनी स्वयं की परिभाषाएं एवं प्रतिमान तैयार किए हैं।

4.4 समुद्री अर्थव्यवस्था का दोहन करने के लिए दुनियाभर में विभिन्न राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहल किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूके, यूएस, रूस एवं नॉर्वे जैसे देशों ने मापनीय परिणामों एवं बजटीय प्रावधानों के साथ समर्पित राष्ट्रीय समुद्री नीतियां तैयार की हैं। कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने समुद्री अर्थव्यवस्था लक्ष्यों की प्रगति एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए संघीय एवं राज्य स्तरों पर अनुक्रमिक संस्थान स्थापित किए हैं एवं कानून बनाए हैं।

4.5 भारत विश्व का प्रथम देश था, जिसने वर्ष 1981 में महासागर विकास विभाग बनाया था। तीन दशकों से अधिक के अनुभव के आधार पर, भारत बहुत आगे आ गया है तथा भारतीय समुद्र तटों पर "डीप ओशन मिशन", "अंतरिक्ष से ओशनोग्राफी", तथा "डेटा बुवाय की लॉन्चिंग" जैसे नए कार्यक्रम लॉन्च किए हैं। उत्तराधिकारी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रों में समुद्री कचरे / प्लास्टिक का आकलन करने एवं कम करने के लिए रणनीतियां बनाने हेतु "स्वच्छ समुद्र कार्यक्रम" पर संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ है, जो कि एसडीजी-14 का हिस्सा भी है। भारत के पास हिंद महासागर के अन्तरराष्ट्रीय समुद्र में पॉलीमेटैलिक नॉड्यूल्स एवं पॉलीमेटैलिक सल्फाइड के लिए 75000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा 10000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अन्वेषण का विशेष अधिकार है।

विजन

4.6 भारत सरकार के वर्ष 2020 तक नए भारत के विजन में फरवरी 2019 में समुद्री अर्थव्यवस्था को आर्थिक वृद्धि के दस प्रमुख आयामों में एक के रूप में बताया गया था। समुद्री अर्थव्यवस्था को इस विजन के छठवें आयाम के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें एक सामंजस्यपूर्ण नीति की आवश्यकता पर बल दिया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2015 में समुद्री अर्थव्यवस्था सम्बन्धी नीति के एक शुरुआती मसौदे की पहल की थी, परन्तु इसे कभी भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस नीतिगत रूपरेखा को उस नीति पत्र में निगमित विभिन्न विचारों के आधार पर तैयार किया गया है।

4.7 समुद्री अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक सम्भावनाओं का दोहन करने के लिए भारत की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित चीजों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए:-

- समुद्री अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के उचित मापन तथा राष्ट्रीय आय में उनके योगदान हेतु एक रूपरेखा;
- समुद्री संसाधनों के वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं उनके सम्पोषीय उपयोग समेत स्पैटियली ओरिएंटेड प्लानिंग;
- समुद्री अर्थव्यवस्था की सम्भावनाओं का दोहन करने तथा जीडीपी एवं रोजगार वृद्धि को ईष्टतम बनाने के लिए वित्तीय पूंजी, शारीरिक पूंजी, प्राकृतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में निवेश;
- समुद्र तटीय क्षेत्रों में मछुआरों का कल्याण, सुरक्षा एवं जीवनयापन सुनिश्चित करना;
- शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करने के लिए नवप्रवर्तन, जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को आर्थिक लाभ प्रदान करने वाली न्यून कार्बन प्रौद्योगिकियां।
- समुद्र सुरक्षा उपाय तथा संतुलित अन्तरराष्ट्रीय संबंध।

शीर्षक एवं प्रवर्तन

4.8 इस मसौदा नीति का नाम "भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था नीति - 2020" रखा जाना चाहिए। भारत सरकार को इस मसौदा नीति का यथोचित मूल्यांकन, विश्लेषण, समीक्षा एवं संशोधन करना चाहिए। इस अध्याय के उद्देश्य के लिए इसे 'नीति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस नीति के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

उद्देश्य एवं दृष्टिकोण

4.9 अनुमोदित किए जाने के बाद अंतिम नीति, भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था सम्बन्धी मामलों के लिए प्राथमिक

नीति एवं निर्णयन प्रलेख होगा।

नीति के प्रमुख घटकों की परिधि में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे।

(क) समुद्री अर्थव्यवस्था हेतु एक राष्ट्रीय लेखांकन रूपरेखा

4.10 समुद्री अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विश्वनीय डेटा जनरेट एवं एकत्रित करने के लिए एक नया सुदृढ़ क्रियातंत्र विकसित किया जाएगा। संघटन, वृद्धि एवं मार्ग का मूल्यांकन करने के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों का आवधिक अध्ययन किया जाएगा।

4.11 समुद्री अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों एवं उप-क्षेत्रों की पहचान करने तथा मापन हेतु एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए मौजूदा औद्योगिक वर्गीकरण प्रोटोकॉल एवं वेतेज एसाइनमेन्ट को पुनः देखा जाएगा। समुद्री अर्थव्यवस्था मापन एवं प्रबन्धन के लिए सुसंगत वैज्ञानिक टूल्स एवं प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए अग्रणी देशों / संस्थानों के साथ वैज्ञानिक गठबंधन किए जाएंगे।

(ख) पर्यावरणीय सम्पोषीय राष्ट्रीय तटीय समुद्री स्थानिक नियोजन रूपरेखा

4.12 भारत के तटीय क्षेत्रों की वैज्ञानिक एवं सटीक मैपिंग की सहायता से एकीकृत तटीय एवं समुद्री स्थानिक योजनाएं बनायी जा सकेंगी। भारत यूनेस्को-आईओसी दिशानिर्देशों को अपनाएगा और उनका पालन करेगा। हमारी राष्ट्रीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के लिए जरूरी संसाधनों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जाएगा। इसके लिए पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अन्य सम्बन्धित विभागों/ संस्थानों के बीच में करीबी समन्वयन की आवश्यकता होगी। सीएमएसपी भारत के ईईजेड समेत भारत के द्वीप क्षेत्रों में समुद्री अर्थव्यवस्था के भविष्य के विकास के लिए आधार का कार्य करेगा, तथा इससे द्वीप क्षेत्रों में पर्यावरणीय पर्यटन (ईकोटूरिज्म) की योजना बनायी जा सकेगी, एवं ब्ल्यू फ्लैग समुद्रतटों की संख्या बढ़ायी जा सकेगी। चूंकि सीएमएसपी एक व्यापक यूजर बेस के डेटा की उपलब्धता पर आधारित है, इसलिए डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता एवं सुलभता के हितों का संतुलन बनाते हुए एक नई राष्ट्रीय मानचित्र एवं डेटा नीति सूत्रीकृत की जाएगी।

4.13 विशेष रूप से प्लास्टिक एवं माइक्रो-प्लास्टिक के कारण बढ़ते हुए समुद्री प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए एक सुदृढ़ प्लास्टिक समापन एवं राष्ट्रीय समुद्री कचरा नीति तैयार की जाएगी, जिसमें पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान एवं शहरी विकास मंत्रालयों, राज्य एवं स्थानीय सरकारों एवं तटीय समुदायों को एक समयबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय तटवर्ती मिशन को समुद्री अर्थव्यवस्था गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाएगा। साथ ही, संवहनीय विकास लक्ष्य (SDG-14) का कार्यान्वयन भी समुद्री अर्थव्यवस्था नीति का एक अंग होगा।

(ग) समुद्री मत्स्यपालन, एकाकल्चर एवं मत्स्य प्रसंस्करण विकसित करने का विजन

4.14 पिछले पांच वर्षों में मत्स्यपालन क्षेत्र ने कृषि एवं सहयोगी क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दिखायी है। एकाकल्चर, केज कल्चर, समुद्री शैवाल एवं शैवाल पालन, तथा मत्स्यपालन प्रबन्धन के प्रति एक पारितंत्र दृष्टिकोण अपनाने के द्वारा संपोषीय समुद्री कैचर के द्वारा समुद्री क्रांति को और आगे बढ़ाया जाएगा। मत्स्यपालन एवं समुद्री प्रबन्धन के

सभी पहलुओं में प्रौद्योगिकी, दूर-संचार, डिजिटल एवं रिमोट सेंसिंग को मुख्यधारा में ले आया जाएगा। तथापि, आगामी वर्षों में मत्स्यपालन संसाधनों के संपोषीय उपयोग पर जोर दिया जाएगा।

4.15 लास्ट माइल कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन, अपग्रेड पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबन्धन एवं मार्केटिंग हस्तक्षेपों के द्वारा मछुआरों के जीवन एवं जीविका की सुरक्षा की जाएगी और उसे बेहतर बनाया जाएगा। एक व्यापक राष्ट्रीय मैरीकल्चर नीति घोषित करने के द्वारा मैरीकल्चर जैसे कि शैवाल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्यपालन संसाधनों के अखाद्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ समुद्री जैव-प्रौद्योगिकी की सम्भावनाओं का दोहन किया जाएगा। वाणिज्यिकरण की अथाह सम्भावनाओं का दोहन करने हेतु नई प्रौद्योगिकियों के सृजन हेतु अखाद्य क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक राष्ट्र स्तरीय "समुद्री जैवप्रौद्योगिकी संस्थान" की स्थापना की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी। जलीय रोगों एवं समुद्री स्वास्थ्य के प्रबन्धन हेतु तथा समुद्री मत्स्यपालन के विनियमन एवं व्यापक प्रबन्धन हेतु उचित कदम उठाए जाएंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर कानून बनाया जाना भी शामिल है।

(घ) समुद्री अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए घरेलू निर्माण, उभरते हुए उद्योग, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी, सेवाएं तथा कौशल विकास को बेहतर बनाने का विजन

4.16 बेहतर लॉजिस्टिक, मत्स्यपालन, शिप निर्माण, तथा तटीय एवं कूज पर्यटन (द्वीप पर्यटन एवं विकास समेत) के साथ बंदरगाहों के विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार की विशाल सम्भावना है। उपयुक्त स्कीमेटिक पहलों द्वारा तथा नए व्यावसायिक अवसरों में निवेश हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के द्वारा इन सभी को भारी बढ़ावा दिया जाएगा। नए एवं उभरते हुए क्षेत्र जैसे कि समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, गहरे समुद्र में खनन, तथा समुद्र महासागर को बढ़ावा दिया जाएगा। इन उभरते हुए क्षेत्रों के लिए नवप्रवर्तनशील वित्तीयन एवं व्यवसाय मॉडल की खोजबीन की जाएगी, क्योंकि इनमें बहुत अधिक पूंजी लगती है।

4.17 अधिकतम रोजगार सृजन एवं निर्यात सम्भावनाओं के लिए समुद्री व्यापार एवं समुद्री निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए समुचित कौशल पाठ्यक्रम एवं सहायक विनियामक प्रणाली तैयार की जाएगी। पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील पर्यटन क्षेत्रों में आवधिक रूप से पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाएंगे, ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं आगंतुक-आगमन को पारिस्थितिकी-तंत्र की "वहन क्षमता" के अनुसार रखा जा सके।

(ङ) लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं शिपिंग (ट्रांसशिपमेन्ट्स सहित) विकसित करने के लिए एक एकीकृत योजना

4.18 सागरमाला कार्यक्रम में पहले ही अभिकल्पित पोर्ट परिणामी विकास हेतु अति महत्वपूर्ण मैरीन क्लस्टर को बेहतर फोकस एवं फंडिंग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत पर बल देते हुए 30-वर्षीय योजना के साथ, भारत में शिप निर्माण उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा एवं आधुनिक बनाया जाएगा।

4.19 लॉजिस्टिक एवं कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, ताकि व्यवसाय करने की आसानी एवं दक्षता समेत कर सम्बन्धी मामलों में और भी सुधार की जा सके। लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लिए एक मल्टी मोडल नेटवर्क एवं डिजिटल ग्रिड हेतु एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया जाएगा। तटवर्ती एवं द्वीप क्षेत्रों के दूरसंचार एवं डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया जाएगा। जटिल एवं रणनीतिक मैरीटाइम क्षेत्र के एकीकृत नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री नीति भी तैयार की जाएगी।

(च) तटवर्ती एवं गहरे समुद्र में खनन, नई एवं नवीकरणीय ऑफशोर ऊर्जा तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु रूपरेखा

4.20 समुद्रों में नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, बहुमूल्य खनिज एवं धातु की अथाह सम्भावनाएं हैं। ईईजेड में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण हेतु बहुत सी संविदाएं दी गई हैं, तथा इस सम्बन्ध में - क्लीयरेंस देने, डेटा साझा करने आदि के लिए अंतर-मंत्रालयीय समन्वयन की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास करने के लिए उपयुक्त वित्तीय परिव्यय के साथ ही मानव संसाधनों के परिनिोजन में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू संस्थानों एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों के बीच में वैज्ञानिक सहयोगों को एकीकृत एवं सुदृढ़ बनाया जाएगा। कार्यक्षम डिपॉजिट का अन्वेषण करने तथा उनके निष्कर्षण हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय प्लेसर मिशन लॉन्च करने पर विचार किया गया है। भारत, हिंद महासागर में प्रचुर मात्रा में कोबाल्ट युक्त सी माउंट मैरो मैंगनीज क्रस्ट (SFMC) के अन्वेषण में एक अग्रणी भूमिका भी निभाएगा। पर्यावरणीय प्रभावों की ऑडिट के साथ ही प्रॉस्पेक्टिंग एवं खनन हेतु उचित नीतियां भी तैयार की जाएंगी। भारत वर्ष 2023 तक ईईजेड का अन्वेषण करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस उद्देश्य के लिए समुद्र के सबसे गहरे स्तर में एक मानवयुक्त सबमर्सिबल वाहन भेजने की योजना बनायी गई, जिसके लिए आवश्यक होने पर अन्य भागीदारों के साथ सहयोग किया जाएगा। समुद्री अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा में समुद्री अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने के द्वारा भारत के तकनीकी एवं वैज्ञानिक कर्मियों के समूह को आगे और भी मजबूत बनाया जाएगा। भारत को, अन्तरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज हेतु आर्बंटित क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों का निष्पादन जारी रखना चाहिए।

4.21 हमारे सजीव एवं निर्जीव संसाधनों समेत समुद्र-तल संसाधनों की एक सूची तैयार किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि शीघ्रता से एक राष्ट्रीय समुद्री संसाधन डेटाबेस तैयार किया जा सके।

(छ) समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक आयाम एवं अन्तरराष्ट्रीय संबंध के लिए एक समेकित रूपरेखा

4.22 भारत समुद्री वृद्धि को बढ़ावा देने, समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण, एवं अपने रणनीतिक हितों की सुरक्षा करने के लिए सभी सुसंगत अन्तरराष्ट्रीय पक्षकारों एवं प्लेटफॉर्म के साथ समग्र रूप से संवाद करेगा। भारत एक महत्वपूर्ण उभरती हुई अर्थव्यवस्था एवं रणनीतिक धुरी की अभिस्वीकृति करता है, जो अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हो, जिसे सेशलिस-सिंगापुर-सैमोआ (एसएसएस) धुरी कहा जा सकता है।

4.23 यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण कार्यपद्धति अपनायी जाएगी कि भारत - संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) के अन्तर्गत स्थापित किए गए - कॉन्टीनेंटल शेल्फ सीमा आयोग (CLCS), अन्तरराष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण (ISBA), अन्तरराष्ट्रीय समुद्री कानून अधिकरण (ITLOS), तथा अन्य महत्वपूर्ण निगोसिएशन जैसे कि राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैविक जैव-विविधता (BBNJ) आदि तथा अन्य बहुपक्षीय फोरम जैसे कि यूनेस्को अंतर्शासकीय समुद्रविज्ञान आयोग - के कार्य में सार्थक योगदान देना जारी रखे। इसलिए इन निकायों में सुदृढ़ उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख भागीदार देशों के साथ अन्तरराष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से समुद्री क्षेत्र की जागरुकता सुदृढ़ बनायी जाएगी। भारत वर्ष 2015 में क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं वृद्धि (SAGAR) में अभिकल्पित किए गए के अनुसार एक सुरक्षित हिंद महासागर के लिए कार्य करना जारी रखेगा, जिससे समुद्री पड़ोसियों के साथ समुद्री अर्थव्यवस्था भागीदारी और भी मजबूत होगी। विभिन्न समुद्री पड़ोसियों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए एक मध्यम अवधि योजना बनायी जाएगी, ताकि विकास सहायता को लक्षित किया जाए और वह पारस्परिक वरीयताओं के अनुरूप हो। एक अन्य क्षेत्र जिस पर भारत काम करेगा, वह है विश्व व्यापार संगठन में

मत्स्यपालन सहायिकी पर वर्तमान में की जा रही व्यापारिक संधिवार्ता पर कार्य करना।

4.24 हिंद महासागर में मल्टीलेयर निगरानी एवं सुरक्षा बेहतर बनायी जाएगी, विशेष रूप से घरेलू उत्पादन एवं अधिप्राप्ति के माध्यम से। तटीय एवं समुद्री सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जाएगा, जिसके लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक योजना बनायी तथा क्रियान्वित की जाएगी।

(ज) समुद्री प्रशासन

4.25 नीति के सभी संघटक पहलू एक सहयोगपूर्ण समुद्री प्रशासन रूपरेखा पर निर्भर करते हैं, जो विभिन्न हितधारकों तथा प्रशासनिक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों एवं तटवर्ती समुदायों के बीच में समन्वयन, सम्प्रेषण एवं सुस्पष्टता सुनिश्चित करे। ड्राफ्ट पॉलिसी को एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना तथा प्रचालित करने की आवश्यकता है। इससे अलग-थलग काम करने से बचा जा सकेगा, प्रयासों का दोहराव नहीं होगा और नीति में सामंजस्य बना रहेगा। तदनुसार, एक शीर्ष निकाय, राष्ट्रीय समुद्री अर्थव्यवस्था परिषद (NBEC) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि समग्र रूप से नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए सभी मौजूदा विशेषज्ञता एवं योजनाओं को एक ही ओवरसाइट एजेंसी के अन्तर्गत लाया जा सके।

समुद्री अर्थव्यवस्था की प्रशासनिक रूपरेखा

4.26 यह प्रस्तावित किया गया है कि राष्ट्रीय समुद्री अर्थव्यवस्था परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी सुसंगत हितधारकों को एकजुट किया जाएगा। NBEC रूपरेखा में, एकरूपता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित सभी प्रभावी क्षेत्रीय रूपरेखाओं एवं नीतियों, अन्य सभी प्राधिकरणों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसका परिणाम, अंतरसम्बन्धित मुद्दों को सम्बोधित करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों के ईष्टतम उपयोग के मामले में एक एकीकृत कार्यप्रणाली के रूप में सामने आएगा। यह परिषद, निम्नलिखित कार्यों को सुगम बनाएगा:-

- i) समुद्री अर्थव्यवस्था योजनाओं, परियोजनाओं का समग्र मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग तथा समयोचित क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य।
- ii) नीति के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश / निदेश प्रदान करना।
- iii) समुद्री अर्थव्यवस्था में क्षमता निर्माण, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के विकास में मंत्रालयों / विभागों को दिशानिर्देश/निदेश प्रदान करना।
- iv) आवश्यकता के अनुसार टैरिफ निर्धारण, मत्स्यपालन सहायिकी निगोसिएशन, तथा विनियामक मुद्दों के लिए मार्गदर्शन / निर्देश प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त, भारत के पास अन्वेषण, परिवहन, संग्रहण आदि जैसी ऑफशोर गतिविधियों के मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग, लीजिंग, अनुमति प्रदान करने से सम्बन्धित एक विशिष्ट संगठनात्मक रूपरेखा अथवा पूर्ण / व्यापक विनियम नहीं है। कुछ मंत्रालयों, जैसे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने यह करने का प्रयास किया है। इसलिए, भारत में सभी समुद्री संसाधन-खनिजों, गहरे समुद्र में मत्स्यपालन संसाधन, ऑफशोर ऊर्जा विकास आदि के पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु एक निर्बाध प्रशासनिक ढांचा तैयार किए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है। इससे विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के बीच में समन्वयन किया जाना, तथा विभिन्न विनियामक एवं प्रशासनिक

दृष्टिकोणों के साथ अन्तरराष्ट्रीय अनुभवों पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा। यह, प्रस्तावित NBEC की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

4.27 यह निकाय शीर्ष निकाय होगा, जो केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकारों में विभिन्न हितधारकों के बीच में नियोजन प्रक्रिया को एकीकृत करेगा। इसमें उद्योग-जगत, अनुसंधान संगठनों एवं नीति समर्थन समूहों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री, विदेश मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, खान मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, मत्स्यपालन मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, पर्यटन मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, शिपिंग मंत्री, वित्त मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस परिषद के सदस्य हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, तटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी इस परिषद के सदस्य होंगे। फिक्की, एसोचैम एवं सीआईआई के अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया जा सकता है, तथा सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को सदस्य-सचिव बनाया जा सकता है।

प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने, योजनाओं एवं रणनीतियों को अनुमोदित करने, तथा उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार परिषद की बैठक आयोजित करनी होगी।

4.28 विभिन्न कार्रवाई बिंदुओं के क्रियान्वयन के लिए एक अधिशासी समिति की आवश्यकता होगी, जो मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं के नियोजन, समन्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी। तदनुसूच, परिषद अपनी अधिशासी समिति के माध्यम से प्रचालन करेगी, जिसके अध्यक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हो सकते हैं, तथा नीति आयोग के सीईओ इसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं, तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव इसके सदस्य-सचिव हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), विदेश मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्स्यपालन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय के सचिवगण तथा तटीय राज्यों के सम्बन्धित मुख्यमंत्रियों के मुख्य सचिवगण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के प्रतिनिधि, तथा उद्योग संघों के वरिष्ठ प्रतिनिधि इस परिषद के सदस्य हो सकते हैं।

कार्यकारी समिति के निम्नलिखित विचारार्थ विषय हो सकते हैं:

- (i) राष्ट्रीय समुद्री अर्थव्यवस्था परिषद की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में मंत्रालयों / विभागों को सुविधा प्रदान करना और सहायता करना
- (ii) मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित की जाने वाली परियोजनाओं का नियोजन, समन्वयन एवं पर्यवेक्षण करना
- (iii) समुद्री अर्थव्यवस्था में क्षमता निर्माण, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के विकास में मंत्रालयों / विभागों को सहायता प्रदान करना
- (iv) आवश्यकता के अनुसार प्रशुल्क निर्धारण, मत्स्यपालन सहायता निगोसिएशन, तथा विनियामक मुद्दों में मंत्रालयों / विभागों को सुविधा प्रदान करना

समिति से यह अपेक्षा रखा जाएगा कि कभी भी जरूरत पड़ने पर बैठक आयोजित करे, प्रत्येक वर्ष में कम से तीन बैठकें जरूर हों। परिषद का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जो कि

उपयुक्त वरिष्ठता क्रम एवं अनुभवी हो। तथापि, पॉलिसी रूपरेखा को अंतिम रूप से दिए जाने से पहले पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ समन्वयन में, सुझाव गए परिषद एवं कार्यकारी समिति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है।

राष्ट्रीय समुद्री अर्थव्यवस्था निधि (NBEF)

4.29 NBEC के अन्तर्गत विभिन्न पहलों को क्रियान्वित करने के लिए एक समुद्री अर्थव्यवस्था निधि स्थापित की जाएगी, जो या तो प्रतिभागी मंत्रालयों / विभागों से एक प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से स्थापित की जाएगी, अथवा NBEC के प्रशासनिक परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत स्टैंड-एलोन बजटेट आइटम के रूप में स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य, भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाले क्रॉस कटिंग परियोजनाओं की शुरुआत एवं सपोर्ट करना होगा।

मध्यम अवधि के लिए उद्देश्य

समय के साथ मुद्दे विकसित होंगे, तथापि, मध्यम अवधि में निम्नलिखित कार्रवाई लायक बिंदुओं को अंतिम रूप से अभिकल्पित किया गया है।

समुद्री अर्थव्यवस्था विधान

4.30 मध्य अवधि में, समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए एक उपयुक्त विधायी रूपरेखा अधिनियमित करने की आवश्यकता होगी। जरूरतों के मूल्यांकन के आधार पर - विकास, विनियम एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए - एक व्यापक पहुंच वाला विधान तथा/अथवा सुसंगत मंत्रालयों से सम्बन्धित विशिष्ट कानूनों की समीक्षा, संशोधित अथवा अधिनियमित किए जा सकते हैं। तथापि, अल्प अवधि में, प्रस्तावित नीति रूपरेखा इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि इसकी सहायता से NBEC जैसे निकाय की संस्थागत फंक्शनिंग को सक्षम बनाया जा सके। CMSP के लिए भविष्य के विधान पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए NBEC प्रशासनिक निकाय हो सकता है।

बेहतर क्षमताएं

4.31 समुद्री अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण वृद्धि एवं रोजगार बहुगुणक के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके लिए, इसके संघटक क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने हेतु एक प्रतिभा पूल में आवश्यक क्षमताएं सृजित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए, उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों को समुद्री अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ, विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों जैसे कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के साथ सम्बन्ध स्थापित किए जाने की आवश्यकता होगी, ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा पूल को नियोजित किया जा सके। समुद्री अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न स्तरों हेतु देश में जरूरी मानव संसाधन कौशल विकसित करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता होगी, साथ ही नई शिक्षा नीति की रूपरेखा के अन्तर्गत समुद्री अर्थव्यवस्था पर एक नया पाठ्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता होगी। इसे शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत से स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर

4.32 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरम्भ किया गया स्वच्छ भारत मिशन (SBM) दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबन्धन एवं व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है। इसका ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, दोनों में काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

आज, समुद्री प्रदूषण समुद्र के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लगभग 80 प्रतिशत समुद्री प्रदूषण भू आधारित संसाधनों, विशेष तौर पर तटवर्ती शहरों एवं समुदायों से आता है। इसलिए यह समय की मांग है कि स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन को "स्वच्छ पृथ्वी, स्वच्छ सागर" तक विस्तारित किया जाए। इससे मानव एवं औद्योगिक अपशिष्ट प्रबन्धन रणनीतियों में एक अद्वितीय एवं समग्र दूरदर्शिता आएगी, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में, ताकि भूमि एवं जल आधारित हस्तक्षेपों के बीच में तालमेल स्थापित किया जा सके। यह, भारत को ऐसी दूरदर्शिता का लक्ष्य रखने वाला दुनिया का प्रथम देश भी बनाएगा। इस अद्वितीय दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को राज्य एवं स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी करने की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

4.33 ड्राफ्ट नीति का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में भारत की जीडीपी में समुद्री अर्थव्यवस्था का योगदान बढ़ाया जाए, तटवर्ती समुदायों का जीवन सुधारा जाए, हमारी समुद्री जैव-विविधता को परिरक्षित किया जाए, हमारे समुद्री क्षेत्रों एवं संसाधनों की सुरक्षा अनुरक्षित की जाए। आज समुद्री अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि एवं कल्याण का अगला बहुगुणक बनने की संभावना दिखा रही है, बशर्ते कि रणनीति में संवहनीयता एवं सामाजिक-आर्थिक कल्याण को प्रमुख स्थान दिया जाए। इसलिए, आर्थिक वृद्धि एवं कल्याण की सम्भावना हासिल करने के लिए एक समुद्री अर्थव्यवस्था नीति विकसित करने हेतु प्रस्तावित रोडमैप एक महत्वपूर्ण चरण होगा।
